

न्यायालय :- गिरजेश कुमार सनोडिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,

अलीराजपुर (म.प्र.)

अपराधिक प्रकरण क्रमांक :- 1072/2015

चालान प्रस्तुति दिनांक :- 08/10/2015

फाईलिंग नंबर 235001009132015

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,

बखतगढ़, जिला-अलीराजपुर (म.प्र.)

:::: ( अभियोगी )

विरुद्ध

(रामा पिता चवरिया, भीलाला, उम्र 36 वर्ष,

व्यवसाय-ड्रायवर, निवासी- ग्राम छकतला

जिला अलीराजपुर

:::: ( अभियुक्त )

:::: निर्णय :::

( आज दिनांक 17/01/2017 को घोषित )

अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337 व 338 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यह दोषारोप है कि, अभियुक्त ने दिनांक 11/09/2015 को करीब 11:00 बजे थाना बखतगढ़ से 16 कि.मी. पूर्वोत्तर कटवाड़ सोण्डवा लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.69 एम. 7739 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चालकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत कोटवाल व रूपसिंह को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की और उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत सिरला को घोर उपहति कारित की।

**02.** अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14/09/15 को जिला अस्पताल अलीराजपुर से पुलिस चौकी अस्पताल अलीराजपुर को इस आशय की तहरीर मय प्री.एम.एल.सी. प्राप्त हुई कि आहत् सिरला, कोटवाल व रूपसिंह का वाहन दुर्घटना होने से अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किया गया। जिसका इन्द्राज रोजनामचे कि जाकर जाँच में लिया गया। जाँच के दौरान घटना स्थल थाना बखतगढ़ के क्षेत्राधिकार का होने से तहरीर मय रिपोर्ट थाना बखतगढ़ प्रेषित की गई, जिसका इन्द्राज पुलिस थाना बखतगढ़ पर किया जाकर जाँच में लिया गया। जाँच के दौरान आहत् का एकसीडेंट मोटरसायकल चालक रामा द्वारा वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक से चलाकर आहत् सिरला, कोटवाल व रूपसिंह को टक्कर मारना पाये जाने से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना बखतगढ़ के अपराध क्रमांक 63/15 धारा 279, 337 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आहत् सिरला को फेक्चर होने से धारा 338 भा.द.सं. बढाई जाकर शेष आवश्यक संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

**03.** अभियुक्त के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। अभियुक्त के विरुद्ध कोई साक्ष्य न आने के कारण अभियुक्त का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।

**04.** प्रकरण में अब विधिसंगत निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (01) क्या अभियुक्त ने दिनांक 11/09/2015 को करीब 11:00 बजे थाना बखतगढ़ से 16 कि.मी. पूर्वोत्तर कटवाड़ सोण्डवा लोकमार्ग पर वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी.69 एम. 7739 को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चालकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?
- (02) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत् कोटवाल व रूपसिंह को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित की ?
- (03) क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर आहत् सिरला को घोर उपहति कारित की ?

:::: सकारण विनिश्चय :::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण :-

**05.** उक्त विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से परस्पर संबंधित होने से उक्त तीनों विचारणीय प्रश्नों का एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

**06.** इस संबंध में आहत् रूपसिंह (अ.सा.01) ने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपी को जानने से इंकार करते हुये बताया है कि घटना उसके कथन दिनांक से 03-04 माह पहले दिन के 11 बजे की है। उसकी तबियत खराब हो गई तो उसकी बुआ का लड़का शिरला व काका का लड़का कोटवाल मोटरसायकल पर बैठाकर अस्पताल बडोली ले जा रहे थे तब गाडी सिरला चला रहा था। जैसे वे कटवाड़ पहुंचे एक वाहन वाले ने उनकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे वे नीचे गिर गये। शिरला को दाहिने पैर के जॉघ में, कोटवाल को दोनों पैरों में चोट आई थी। टक्कर मारने वाला वाहन किस रंग का था तथा उसका चालक

कैसे चलाकर ला रहा था और उसका नाम क्या था उसे नहीं मालूम क्योंकि उसकी तबियत खराब थी। बाद में भी नहीं मालूम पड़ा कि टक्कर मारने वाला का नाम क्या था। उनका ईलाज अलीराजपुर अस्पताल में करवाया था। पुलिस ने उसकी निशादेही से घटनास्थल का नक्शामौका नहीं बनाया था और उसके बयान भी नहीं लिये थे।

**07.** उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण साक्षीगण से अभियोजन की ओर सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान साक्षी द्वारा वे ईलाज करवाने जा रहे थे तब छकतला तरफ से सफेद रंग की बुलेरो गाडी का ड्रायवर ने उनकी गाडी को टक्कर मारने तथा उन्होंने उठकर टक्कर माने वाली गाडी के चालक का नाम पूछा तो उसने नाम रामा पिता चौवरिया बताने और उसकी निशादेही से घटना स्थल का नक्शामौका बनाने से इंकार किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 का ए से ए एवं बी से बी भाग पढकर सुनाये जाने पर साक्षी ने ऐसे कथन देने से भी इंकार किया है।

**08.** कोटवाल (अ.सा.02) ने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपी को जानते हुये बताया है कि घटना उसके कथन दिनांक से 03-04 माह पहले दिन के 11 बजे की है। रूपसिंह की तबियत खराब हो गई तो उसका ईलाज कराने के लिये वह व शिरला मोटरसायकल पर बैठाकर अस्पताल बडोली ले जा रहे थे तभी एक गाडी वाले ने उनकी गाडी को टक्कर मार दी, जिससे उसे दोनो पैरो के घुटने में चोट आई थी व शिरला को दाहिने पैर के जाँघ में चोट आई और रूपसिंह को दोनो पैरो में चोट आई थी। वे मोटरसायकल सहित गिर गये थे और उन्होने उठकर वाहन चालक का नाम रामा बताया था। वाहन चालक घटना समय वाहन कैसे चला रहा था उसे नहीं मालूम है। उन सभी का ईलाज अलीराजपुर अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

**09.** उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण साक्षीगण से अभियोजन की ओर सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान साक्षी ने उनके ईलाज करवाने जा रहे थे तब छकतला तरफ से बुलेरो गाडी के चालक ने तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया व उनकी गाडी को टक्कर मारने से इंकार किया है। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.02 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर उसने पुलिस को ऐसे कथन देने से इंकार किया है।

**10.** सिरला (अ.सा.03) ने अपनी अभिसाक्ष्य में आरोपी रामा को जानने से इंकार करते हुये बताया है कि घटना उसके कथन दिनांक से एक साल पूर्व ग्राम कटवाड की है। वह, कोटवाल व रूपसिंह को लेकर अस्पताल बडोली मोटरसाकयल से जा रहे थे तब सामने से बुलेरो गाडी के चालक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसे दाहिने पैर में चोट आई और पैर टूट गया था। कोटवाल व रूपसिंह को भी पैर में चोट आई थी। बुलेरो वाहन को कौन चला रहा था उसे नहीं मालूम है। वाहन चालक घटना होते समय वाहन को स्पीड में चला रहा था। उनका ईलाज अलीराजपुर अस्पताल में हुआ था और बाद में बडोली हुआ था। पुलिस ने उसके बयान लिये थे।

**11.** उक्त साक्षी द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं करने के कारण साक्षीगण से अभियोजन की ओर सूचक प्रश्न पूछे गये, किन्तु सूचक प्रश्न के दौरान साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि कोटवाल ने उठकर ड्रायवर का नाम व पता पूछा तो उसने रामा पिता चवरिया बताया था। साक्षी को पुलिस कथन प्र.पी.03 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने पुलिस को ऐसे कथन देना बताया है।



**12.** प्रकरण में आहत सिरला (अ.सा.03) ने अपनी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 03 में यह स्वीकार किया है कि टक्कर लगने से वह बेहोश हो गया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि बुलेरो वाहन कौन चला रहा था, कैसे चल रही थी उसने नहीं देखा। कोटवाल ने उसके सामने ड्रायवर का नाम पता नहीं पूछा था क्योंकि वह उस समय बेहोश था और उसे अलीराजपुर में होश आया था। प्रतिपरीक्षण कि इसी कंडिका में साक्षी ने आगे बताया कि उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिये थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने प्र.पी03 का ए से ए एवं संपूर्ण कथन पुलिस को नहीं दिये तथा पुलिस ने कैसे लिख लिये वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि मोड़ पर सामने से टक्कर लगने से मोटरसायकल पर तीन लोग बैठे थे तभी अचानक मोड़ पर गाड़ी आ जाने से उनकी मोटरसायकल स्लिप हो गई थी, जिससे वे गिर गये थे। इस प्रकार से इस साक्षी की साक्ष्य संदेहास्पद प्रतित होती है। इसी प्रकार से साक्षी रूपसिंह (अ.सा.01), कोटवाल (अ.सा.02) ने घटना का समर्थन नहीं किया है। अतः अभियुक्त रामा के विरुद्ध धारा 279, 337 व 338 भा.द.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

**13.** अभिलेख पर आई उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना के आधार पर अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे धारा 279, 337 व 338 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः अभियुक्त रामा को संदेह का लाभ प्रदान करते हुए धारा 279, 337 व 338 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाकर इस प्रकरण में स्वतंत्र घोषित किया जाता है।

**14.** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

**15.** प्रकरण में जप्तशुदा वाहन बुलेरो क्रमांक एम.पी. 69 एम 7739 को उसके विधिक स्वामी को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है। अतः उक्त सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् अपील ना होने की दशा में भार मुक्त किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार, निराकरण किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

( गिरजेश कुमार सनोडिया )  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
अलीराजपुर (म.प्र.)

( गिरजेश कुमार सनोडिया )  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,  
अलीराजपुर (म.प्र.)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)